न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 10/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/25

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
गणपतदास पुत्र भागुदास जाति साद निवासी जिवादिया तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का धानणवां तहसीलदार मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

उपस्थितः–
1. श्री आर. के. माथुर वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मकराना जिला डीडवाना–कुचामन, पीटासीन अधिकारी कृष्णा आर.टी.एस. प्रकरण शीर्षक सरकार जरिये पटवार हल्का धानणवां बनाम गणपतदास निर्णय दिनांक 09.02.2024 प्रकरण संख्या 01/2023

–:निर्णयः–

दिनांकः 18.06.2024

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. प्रत्यर्थी पटवारी ने एक पत्र तहसीलदार मकराना को इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी गणपतदास ने राजकीय आराजी पर अवैध कब्जा किया हैं। इसलिए उसके विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जावें। इस पर तहसीलदार ने दिनांक 04.01.2023 को दर्ज कर अपीलार्थी गणपतदास को नोटिस जारी किये। दिनांक 23.01.2023 को अपीलार्थी उक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु मौका चाहा। दिनांक 27.03.2023 को अप्रार्थी/ अपीलार्थी की ओर से उक्त न्यायालय में अपना जवाब प्रेषित किया तथा विभिन्न प्रकार के तथ्यों एवं विधिक आपतियां पेश की। यही नहीं अपीलार्थी/ अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 11.09.202[illegible] आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित [illegible] पश्चात बिना किसी आगे कि प्रभावी [illegible] 09.02. 2024 को अधीस्थ न्यायालय ने उक्त चुनौतीग्र[illegible] आदेश पारित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

अपीलार्थी को खसरा नम्बर 83 किस्म डोली मन्दिर रघुनाथ जी महाराज की भूमि में 1610 वर्गफुट पर गलत रूप से अतिक्रमी मानकर गलत रूप से भौतिक बेदखली के आदेश दिये। जिस आदेश / निर्णय दिनांक 09.02.2024 के विरूद्ध यह अपील पेश है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 09.02.2024 विधि के सर्वमान्य सिद्धांनतों के विपरीत हैं तथा अपास्त किये जाने योग्य है। जिसमें प्रमुख आधार इस प्रकार हैं:–

   1. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाथी / अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.03.2023 पर लेशमात्र भी गौर नहीं किया। जब शिकायतर्का पटवारी स्वयं ने उक्त खसरा नम्बर 83 की भूमि को राजकीय भूमि नहीं माना और मन्दिर माफी की भूमि माना हैं तब धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधान हस्तगत प्रकारण के लागू नहीं होते है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से अपने निर्णयों में प्रतिपादित किया जा चुका हैं कि मन्दिर की भूमि राजकीय भूमि नहीं है। विदित रहे कि इस मामले में कालूराम बनाम प्रेमदास आरआरडी 1984 पृष्ठ संख्या 283 तो स्पष्ट है ही इसके अलावा माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने श्रीमती परमावती देवी वाले प्रकरण 1995(1) DNJ S.C पृष्ट संख्या 200 में भी ऐसा निर्णय देकर विधि की स्पष्ट विवेचना की है, फिर भी उक्त निर्णयों व तथ्यों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया।
   2. अपीलार्थी / अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2023 को एक आवेदन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया था। जिस आवेदन को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेशिका में इस रूप में दर्ज ही नहीं किया और सामान्य रूप से इसे पुनः अप्रार्थी का जवाब मान लिया और पत्रावली को अन्तिम बहस में लगा दिया। विदित रहे कि उक्त आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का ना तो किसी आदेशिका में संदर्भ दिया ओर न इस आवेदन का कहीं निस्तारण किया। इसके बावजुद न्यायिक प्रक्रिया से परे जाकर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। जो प्रथम दृष्टा ही खारिज किये जाने योग्य है।
   3. खसरा नम्बर 83 को नियमानुसार अपीलार्थी गणपतदास खातेदार रहा हैं और पीढियों से उक्त भूमि पर उनका कब्जा रहा हैं। मन्दिर की सेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

पूजा अपीलार्थी ही करता है। इस हेतु वहीं पर इसका स्थायी निवास भी है तब उसके द्वारा निर्मित मकान को अतिक्रमणी की परिभाषा में कैसे माना जा सकता है। जब इसी खसरा का अपीलार्थी पुराना खातेदार रहा हैं व पीढ़ियों से इसका कब्जा काश्त हैं। तब वह अतिक्रमी कैसे हो सकता हैं। इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया।

4. यद्यपि धारा 91 की कार्यवाही समरी ट्राईल अवश्य है। परन्तु इस बावत् न्यायिक प्रक्रिया तो न्यायालय को निभानी ही पड़ती है। विदित रहे कि जब अपीलार्थी/अप्रार्थी ने अपना विस्तृत जवाब मय तथ्यों के एवं विधिक स्थिति का कर दिया था तो अधीनस्थ न्यायालय का यह प्राथमिक कर्तव्य था कि उभय पक्षों का साक्ष्य का मौका देता प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का साक्ष्य में मूल्याकंन करता एवं उभय पक्षों की साक्ष्य के पश्चात् ही कोई आदेश देता। परन्तु ऐसा नहीं कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है।

3. अपील अन्दर मयाद है उक्त आदेश/निर्णय दिनांक 09.02.2024 का है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 01.03.2024 को नकल की दरख्वास्त पेश की व प्रमाणित प्रति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त माह फरवारी 2024 में 29 दिन होते हैं और ऐसी स्थिति में प्रकरण की विधिक मयाद दिनांक 10.03.2024 तक होती है। उक्त दिवस को रविवार का अवकाश था, यही नहीं दिनांक 08.03.2024 को शिवरात्री, 09.03.2024 को द्वितीय शनिवार था। ऐसी स्थिति में उक्त अपील दिनांक 11.03.2024 को पेश की जा रही है जो स्पष्ट रूप से अन्दर मयाद है तथा समुचित न्यायालय कोर्ट फीस पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 09.02.2024 को अपास्त करने की कृपा करें।

वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। ग्राम जिवादिया तहसील मकराना के जमाबन्दी संवत् 2048–2051, संवत 2076 से 2076 [illegible] मंदिर श्री रुघनाथजी महाराज के नाम दर्ज [illegible]

राजस्व (ग्रप 6) राजस्थान सरकार के [illegible] क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 [illegible] मन्दिर भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है।

प्रार्थी स्वयं भी यह स्वीकार करता है कि पूर्व में भी विक्रम संवत् 2048–2051, संवत 2076 से 2076 तक खसरा नम्बर 83 डोली बनाम मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज के नाम दर्ज थी एवं आज भी वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज के नाम दर्ज है।

प्रार्थी राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की अपील के माध्यम से खातेधारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो प्रदान नहीं किये जा सकते।

उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 83 संवत 2048–2051, संवत 2076 से 2076 तक डोली बनाम मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने के तथ्य भी पत्रावली से प्रमाणित हैं। अपीलांट द्वारा डोली की भूमि पर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार मकराना द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 01 / 2023 उनवान पटवारी हल्का धानणवा बनाम गणपतदास दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.02.2024 को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये गये है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना के प्रकरण संख्या 01 / 2023 उनवान पटवारी हल्का धानणवा बनाम गणपतदास का निर्णय दिनांक 09.02.2024 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **18.06.2024** को सुनाया गया।

18/6/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन